न्यायालय–लक्ष्मण कुमार वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खण्डवा म.प्र.

जा. कमांक–136/2020 खंडवा, दिनांक–26/03/2020

–: आदेश :–

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर से जारी परिपत्र क्रमांक क्यू–5 जबलपुर दिनाक 25.03.2020 एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश खण्डवा के आदेश क्रमांक 115/चार–03–01/11 खण्डवा दिनांक 25.03.2020 के आलोक मे दिनाक 26.03.2020 से दिनाक 14.04.2020 तक न्यायालयों मे अकार्य दिवस घोषित किया गया है।

इस आदेश द्वारा सार्वजनिक अवकाश एवं उक्त अकार्य दिवसों मे रिमांड एवं आवश्यक आपराधिक (न्यायिक) कार्य सम्पन्न किये जाने हेतु निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेटगण को खंडवा/हरसूद/पुनासा में उनके नाम के सम्मुख दर्शित तिथियो के लिये अधिकृत किया जाता है।

अतः उक्त अकार्य दिवसों में निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेटगण निम्न दर्शित तिथियों को दोपहर 04:00 से 05:00 बजे तक रिमांड एवं अत्यावश्यक आपराधिक (न्यायिक) कार्य सम्पन्न करेंगे–

क0	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम एवं पद	अवकाश की तिथियॉं
		माह–मार्च–अप्रैल
01	लक्ष्मण कुमार वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	दिनांक 26.03.2020
02	कु. मधुलिका मूले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खंडवा	दिनांक 27.03.2020 से दिनांक 30.03.2020 तक
03	श्री कपिल वर्मा,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खंडवा	दिनांक 31.03.2020 से दिनांक 03.04.2020 तक
04	श्रीमती, पुर्णिमा कोठे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खंडवा	दिनांक 04.04.2020 से दिनांक 06.04.2020 तक
05	कु. सौम्या साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खंडवा	दिनांक 07.04.2020 से दिनांक 10.04.2020 तक
06	कु. आयुषि गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खंडवा	दिनांक 11.04.2020 से दिनांक 14.04.2020 तक
		पुनासा
07	श्री जितेन्द्र मेहर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पुनासा जिला खंडवा	माह मार्च व अप्रैल 2020 के समस्त अकार्य दिवस एवं सार्वजनिक अवकाश
		हरसूद
08	श्रीमती सीता कनोजे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हरसूद जिला–खंडवा	माह मार्च व अप्रैल 2020 के समस्त अकार्य दिवस एवं सार्वजनिक अवकाश

नोट :–

1– उक्त दिनांक को संबधित न्यायालय के कर्मचारीगण भी अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहेगे।

2– यदि किन्ही अपरिहार्य कारणों से कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट उक्त दर्शित तिथियो को आवश्यक रिमांड ड्यूटी सम्पन्न करने मे असमर्थ रहते है, तो वे अपने साथी न्यायिक मजिस्ट्रेट से उक्त दर्शित तिथि को रिमांड ड्यूटी सम्पादन करने हेतु लिखित सहमति प्राप्त कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खंडवा को सूचित करेंगे। लिखित सहमति देने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का यह दायित्व रहेगा कि वह लिखित सहमति अनुसार समायोजन कर नियत दिनाक को रिमांड ड्यूटी सम्पन्न करेगे ।

3– रिमाड ड्यूटी के दौरान प्रस्तुत किये जाने वाले अभियुक्तों के अधिवक्ता के संबंध में तत्काल जानकारी ली जावेगी एवं जिन अभियुक्तों को विधिक सहायता की आवश्यकता है, वह तत्काल उपलब्ध कराई जावेगी ।

4– आकस्मिकता की स्थिति मे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के मौखिक आदेश से रिमांड ड्यूटी का कार्य संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा सपादित किया जा सकेगा।

Sd/-
(लक्ष्मण कुमार वर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खंडवा (म.प्र.)

Scanned by CamScanner

पुष्ठांकन क्र.136.(1.)../2020

प्रतिलिपि :–

खंडवा, दिनांक–26.03.2020

1–प्रस्तुतकार, माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, खंडवा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2–माननीय विशेष न्यायालय, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, खंडवा को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

3–प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खंडवा म.प्र.

4–श्री कपिल वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खंडवा

5–कु0 मधुलिका मूले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खंडवा

6–श्री. वि.प्र सोलंकी, स्पेशल रेल्वे कोर्ट, जिला खण्डवा

7–श्रीमती पुर्णिमा कोठे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खंडवा म.प्र.

8– सुश्री आयुषि गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खंडवा

9– सुश्री सौम्या साहु, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खंडवा

10– श्रीमती सपना पटवा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खंडवा

11–श्रीमती सीता कनोजे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हरसूद

12–श्री जितेन्द्र मेहर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पुनासा

13–पुलिस अधीक्षक, खंडवा (म.प्र.) की ओर समस्त थाना प्रभारियों को सूचित करने हेतु प्रेषित।

14–वन मंडलाधिकारी, वन विभाग खंडवा म.प्र. को सूचनार्थ प्रेषित ।

15–जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी कार्यालय, खंडवा म.प्र.

16–उप संचालक (अभियोजन), कार्यालय जिला अभियोजन खंडवा को सूचनार्थ।

17–अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, खंडवा को सूचनार्थ ।

18–सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर इस अपेक्षा के साथ कि, वे प्रत्येक न्यायालय में पेनल लॉयर की सूची मय फोन नंबर सहित उपलब्ध करावें ।

19–सिस्टम आफिसर की ओर आदेश की प्रति ई–मेल के माध्यम से प्रेषित किये जाने बाबत्।

26/3/2020

(लक्ष्मण कुमार वर्मा)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

खंडवा (म.प्र.)

Scanned by CamScanner